UPSI0100491920 24

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1 सीतापुर

सत्र परीक्षण संख्या– 1061/2024

CIS No– 1061/2024

राज्य बनाम मनोरमा आदि ।

दिनांक– 30.07.2026

1. वाद पुकारा गया। विगत तिथि पर उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को प्रार्थना पत्र 8 ख पर सुना जा चुका है।

2. प्रार्थीगण रामबक्श आदि की ओर से प्रार्थना पत्र 8 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थीगण ग्राम चितरेहटा, थाना कमलापुर, जिला सीतापुर के निवासी हैं तथा उक्त वाद में अभियुक्तगण हैं तथा उपरोक्त वाद की मृतक प्रार्थीगण की पुत्री है। वादी मुकदमा उदय भान सिंह के द्वारा मा० अवर न्यायालय को गुमराह करके निराधार तथ्यों के आधार पर प्रार्थीगण के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था। घटना फर्जी व असत्य होने के कारण विवेचक महोदय द्वारा फाइनल रिपोर्ट प्रेषित की गयी थी परन्तु वादी द्वारा अवर न्यायालय में प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल कर प्रार्थी को तलब करवा लिया जबकि कथित घटना से सम्बन्धित प्रार्थीगण के विरुद्ध कोई भी साक्ष्य नहीं है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी की मृतक पुत्री को वादी मुकदमा उदयभान सिंह के पुत्र गौरव सिंह के द्वारा कई बार छेड़छाड़ की गयी व प्रताड़ित किया गया तब प्रार्थीगण के द्वारा अपनी नाबालिग पुत्री बुद्धिमा को ननिहाल में छोड़ दिया गया, वहां भी वादी मुकदमा के पुत्र ने कई बार अपहरण करने का प्रयास किया तब ननिहाल वाले विवश होकर प्रार्थीगण की पुत्री को पुनः प्रार्थी के घर छोड़ दिया गया तब वादी मुकदमा के पुत्र गौरव सिंह के हौसले बुलंद हो गये तथा प्रार्थीगण की पुत्री नाबालिग बुद्धिमा का जीना दुश्वार कर दिया तथा विपक्षी गौरव सिंह से व जुल्मों से परेशान होकर आत्महत्या कर लिया। उक्त अपराध के संबंध में प्रार्थीगण के द्वारा मु०अ०सं०– 222/2017, अंतर्गत धारा 306, 354, 504 भा०दं०सं० व 7/8 पास्को एक्ट व 3/2/5 एस०सी० एस०टी० एक्ट में अभियोग पंजीकृत कराया था तथा घटना के संबंध में साक्ष्य भी उपलब्ध कराये जिसका विचारण विशेष न्यायालय पास्को एक्ट कोर्ट सं० 15, सीतापुर के द्वारा दिनांक 08.12.2023 को वादी मुकदमा उदयभान सिंह के पुत्र गौरव सिंह को दोषसिद्ध करते हुए धारा 354 भा०दं०सं० के अपराध में तीन वर्ष सश्रम कारावास एवं मु० 5,000/– रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया व धारा 306 भा०दं०सं० में दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा मु० 50,000/– रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड अदा करने पर विफल होने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास भुगतने तथा धारा 504 भा०दं०सं० में दो वर्ष का सक्षम कारावास तथा मु० 15,000/– रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया तथा धारा 506 भा०दं०सं० में दो वर्ष के कारावास तथा मु० 5,000/– रुपये के अर्थदमंड से दंडित किया गया एवं धारा 8 पास्को एक्ट के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास तथा मु० 10,000/– रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया एवं 3/2/5 एस०सी०/एस०टी० एक्ट के अंतर्गत दस वर्ष के सश्रम कारावास व मु० 5,000/–

Digitally signed by Mohd Sapheek
Date: 2026.07.30 17:51:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court
Sitapur

रुपये के दंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास से सुनायी गयी थी तथा एक अपराध में दो–दो अपराध पंजीकृत नहीं किये जा सकते हैं। मात्र द्वेष भावना के कारण प्रार्थीगण को फंसाया गया है। प्रार्थीगण पूर्ण रूप से निर्दोष हैं। प्रार्थीगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप निराधार हैं। प्रार्थीगण के विरुद्ध लगाये गये आरोप निरस्त होने योग्य हैं।

3. उक्त प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/वादी की ओर से आपत्ति 9 ख इस आशय़ की प्रस्तुत की गयी है कि प्रार्थी उपरोक्त वाद का वादी है। प्रार्थी द्वारा उक्त वाद की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना कमलापुर जिला सीतापुर में पंजीकृत की गयी थी। विवेचना करने के उपरान्त उक्त वाद में पुलिस द्वारा अन्तिम आख्या (एफ.आर.) न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अन्तिम आख्या (एफ.आर.) दिनांक 15.3.21 को निरस्त कर अभियुक्तगण को तलब किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश के विरूद्ध अभियक्तगण द्वारा श्रीमान जी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गयी थी जिसको सुनने के उपरान्त माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय सीतापुर द्वारा दिनांक 23.9.2021 को निगरानी निरस्त करते हुए आदेश अधीनस्थ न्यायालय की पुष्टि की गयी थी। तत्पश्चात अभियुक्तगण द्वारा एक याचिका अं०धारा–482 सी० आर० पी० सी० माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ में प्रार्थनापत्र नं0–4381/2021 प्रस्तुत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय व माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश को समाप्त करने की चुनौती दी गयी थी, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ लखनऊ द्वारा दिनांक 7.2.23 को अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया कि 4 सप्ताह में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आत्मसर्मपण कर जमानत की याचना करें। परन्तु माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अभियुक्तगण द्वारा पालन नहीं किया गया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वाद सत्र न्यायालय सुपुर्द कर दिया गया तथा श्रीमान जी के समक्ष आरोप हेतु नियत है। अभियुक्तगण द्वारा आरोप से डिस्चार्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया है जो कि विधि के विरूद्ध है तथा निरस्त होने योग्य है। पत्रावली पर अभियुक्तगण के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य है फलस्वरूप न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया जा चुका है। अभियक्तगण का यह कथन कि एक घटना के सम्बन्ध में दो प्रथम सूचना रिपोर्ट नहीं हो सकती, यह कथन गलत है। जबकि एक घटना के वादी अलग अलग है तथा तथ्य भी अलग–अलग है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र डिस्चार्ज बलहीन है तथा निरस्त होने योग्य है। अतः प्रार्थना है कि अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत डिस्चार्ज प्रार्थना पत्र निरस्त कर आरोप बनाने की कृपा करें।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह बहस की जा रही है कि उनकी पुत्री बुद्धिमा ने दुष्प्रेरण व प्रताड़ना के उपरान्त दिनांक 18.07.2017 को आत्महत्या कर ली तथा जिसके सम्बन्ध में मुकदमा अपराध संख्या 222/2017 अन्तर्गत धारा 306, 354, 504, 506 भा०दं०सं० व 7/8 पाक्सो एक्ट व 3(2)(5) एस०सी०/एस०टी० एक्ट थाना कमलापुर में रामबक्श द्वारा दिनांक 29.08.2017 को पंजीकृत कराया गया। उस अभियोग में गौरव सिंह पुत्र उदयभान सिंह निवासी ग्राम चितरेहटा पोस्ट बम्हेरा थाना कमलापुर जिला सीतापुर नामित अभियुक्त बनाया गया है। अभियोग पंजीकृत होने के उपरान्त आरोप बनाया गया और उसका विचारण अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–15 (पॉक्सो एक्ट) द्वारा किया गया और दिनांक 08.12.2023 को गौरव सिंह के विरुद्ध आरोप साबित हुआ और उसे धारा 354 भा०दं०सं० के अन्तर्गत तीन वर्ष के सश्रम कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदण्ड, धारा 306 भा०दं०सं० में दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा मु० 50 हजार रुपये के

अर्थदण्ड, धारा 504 भा०दं०सं० में दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा मु० पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 506 भा०दं०सं० में दो वर्ष के कारावास तथा मु० पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड, धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत पांच वर्ष के सश्रम कारावास तथा मु० दस हजार रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा 3(2)(5) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधि० के अन्तर्गत दस वर्ष के सश्रम कारावास तथा मु० पचास हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

5. गौरव सिंह के पिता उदयभान सिंह द्वारा यह अभियोग धारा 156(3) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत न्यायालय के आदेश से दिनांक 21.08.2018 को प्रार्थीगण मनोरमा व रामबक्श के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया जिसमें विवेचना उपरान्त दिनांक 28.08.2018 को अंतिम रिपोर्ट प्रेषित की गयी। यह अभियोग अपराध संख्या–195/2018 पर दर्ज हुआ। अंतिम रिपोर्ट के विरुद्ध प्रस्तुत प्रोटेस्ट प्रार्थनापत्र वादी उदयभान द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर सुनकर अंतिम आख्या निरस्त की गयी है और प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विचारण हेतु आदेश दिनांकित 23.09.2021 से धारा 306 भा०दं०सं० में तलब किया गया है। जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में निगरानी योजित की गयी। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा आदेश दिनांकित 07.02.2023 पारित करते हुए तलबी आदेश दिनांकित 23.09.2021 को निरस्त/Quash नहीं किया गया है। तत्पश्चात यह मामला माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष विचारार्थ गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि अभी आरोप बनने का स्तर नहीं आया है इसलिए याचिकाकर्ता को उचित अवसर पर प्रार्थनापत्र वास्ते उन्मोचन प्रस्तुत करने की स्वतन्त्रता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांकित 27.11.2024 से याचिकाकर्ता की याचिका खारिज कर दी गयी।

6. वादी पक्ष की ओर से मुख्य बहस यह की गयी है कि तलबी आदेश दिनांकित 23.09.2021 के विरुद्ध योजित निगरानी माननीय उच्च न्यायालय में तथा माननीय उच्चतम न्यायालय में प्रार्थीगण की याचिका खारिज कर दी गयी है इसलिए उन्मोचन प्रार्थनापत्र में कोई बल नहीं है तथा निरस्त किये जाने योग्य है परन्तु पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जा रहा है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया है कि "अभी मामला *आरोप विरचित करने के स्तर पर नहीं आया है। याचिकाकर्ता चाहे तो वह स्वतन्त्र है कि उचित अवसर पर उन्मोचन प्रार्थनापत्र उचित अनुतोष हेतु सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है। "* इस प्रकार आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने स्वयं भी उन्मोचन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने का निर्देश है।

7. इस मामले के तथ्य से यह स्पष्ट हो रहा है कि मृतका बुद्धिमा ने गौरव सिंह द्वारा प्रताड़ित व उत्पीड़ित किये जाने के फलस्वरुप दिनांक 18.07.2017 को फांसी लगाकर आत्महत्या की है। उक्त आरोप अभियुक्त गौरव सिंह के विरुद्ध दौरान विचारण साबित हो गया है और उसे दोषी सिद्ध कर दिनांक 08.12.2023 को सक्षम न्यायालय द्वारा दण्डित किया जा चुका है। मृतका बुद्धिमा प्रार्थीगण की पुत्री है और उस मामलें में गौरव सिंह को दोषसिद्ध किया गया है। उक्त वाद के वादी रामबक्श है और उसने यह सूचना देकर अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया है। अब यह सवाल उठता है कि क्या एक अपराध के लिये जब अभियुक्त को परीक्षणोपरान्त दोषी करार दे दिया गया है तो उसी अपराध के लिये मृतका के माता–पिता के विरुद्ध पुनः आरोप बनाया जा सकता है।

8. **दं०प्रं०सं० की धारा–300(1)** के अनुसार "जिस व्यक्ति का किसी अपराध के लिये सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा एक बार विचारण किया जा चुका है और जो ऐसे अपराध के लिये दोषसिद्ध या दोषमुक्त किया जा चुका है, वह, जब तक ऐसी दोषसिद्धि या दोषमुक्ति प्रवृत्त रहती है तब तक न तो उसी अपराध के लिये पुनः विचारण का भागी होगा और न उन्हीं तथ्यों पर किसी ऐसे अन्य अपराध के लिये विचारण का भागी होगा जिसके लिये उसके विरुद्ध लगाये गये आरोप से भिन्न आरोप धारा 221 की उपधारा (1) के अधीन लगाया जा सकता था या जिसके लिये वह उसकी उपधारा (2) के अधीन दोषसिद्ध किया जा सकता था।"

9. अब सवाल यह उठता है कि जब मृतका बुद्धिमा को अभियुक्त गौरव सिंह पर आत्महत्या हेतु विवश करने का आरोप साबित हो चुका है तो प्रार्थीगण को अपनी पुत्री मृतका बुद्धिमा को प्रताड़ित करने व आत्महत्या हेतु विवश करने का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। वैसे भी मृतका प्रार्थीगण की पुत्री है। जब एक बार सक्षम न्यायालय द्वारा गुण–दोष पर मामला निर्णीत हो चुका है और वास्तविक अपराधी गौरव सिंह को दोषसिद्ध करते हुए दण्डित कर दिया गया है तो पुनः मृतका बुद्धिमा को आत्महत्या हेतु विवश किये जाने के लिये प्रार्थीगण के विरुद्ध आरोप विरचित किया जाना न्यायसंगत व विधिक नहीं है।

10. **दं०प्रं०सं० की धारा–211** में आरोप की अंर्तवस्तु क्या होगी ? तथा **धारा–212 (1) दं०प्रं०सं०** के अनुसार "अभिकथित अपराध के समय और स्थान के बारे में और जिस व्यक्ति के (यदि कोई हो) विरुद्ध अथवा जिस वस्तु के (यदि कोई हो) विषय में वह अपराध किया गया, उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में ऐसी विशिष्टियां, जैसी अभियुक्त को उस बात की, जिसका उस पर आरोप है, सूचना देने के लिये उचित रुप से पर्याप्त है, आरोप में अन्तर्विष्ट होगी।"

11. पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य के विश्लेषण से स्पष्ट है कि इस मामले के तथ्य बिलकुल भिन्न है। एक बार अभियुक्त गौरव सिंह को दोषी करार दिया जा चुका है। पुनः उसी अभियोग पर प्रार्थीगण के विरुद्ध मुकदमा चलाया जाना व आरोप विरचित किये जाने का उचित आधार नहीं है और न ही पत्रावली पर ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध है जिससे आरोप बनाये जा सके तथा परीक्षण किया जा सके। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 8ख न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है और प्रार्थीगण अभियोग से उन्मोचित किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थीगण रामबक्श आदि की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 8ख स्वीकार किया जाता है। प्रार्थीगण को अभियोग मु०अ०सं०–195/2018 अन्तर्गत धारा 306 भा०दं०सं० थाना कमलापुर जिला सीतापुर से उन्मोचित किया जाता है। तद्नुसार आपत्ति 9ख निस्तारित की जाती है।

पत्रावली बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

(मो० सफीक)

दिनांक–30.07.2026

अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–1
सीतापुर।
J.O Code–UP6141

आंचल/–